[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 29/2021-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. ...(अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक हैं, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 27/2021-सीमाशुल्क, तारीख 20 अप्रैल, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 284 (अ), तारीख 20 अप्रैल, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
"4.	3822	इंफ्लेमेटरी डायग्नोस्टिक (मार्कर) किट्स अर्थात - आई एल 6, डी-डाइमर, सी आर पी (सी-रिएक्टिव प्रोटीन), एल डी एच (लैक्टेट डी-हाइड्रोजनेस), फ़ेररिटिन, प्रो कैल्सीटोनिन (पी सी टी) और रक्त गैस रिएजेंट्स ।" ।

[फा.सं. 354/52/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार